(2020) 8 एस.सी.आर.

731

सुबेद अली व अन्य

बनाम

असम राज्य

(2012 की आपराधिक अपील सं.1401) 30 सितम्बर 2020

[बेंच- रोहिनटन फली नरीमन, नवीन सिन्हा व इन्दिरा बैनर्जी, न्यायमूर्तिगण]

दण्ड संहिता, 1860- धारा 302/34- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दो व्यक्तियों पर उस समय हमला किया गया जब वे अन्य लोगों के साथ साइकिल पर बाजार से लौट रहे थे- उनमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरे की अस्पताल में मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों – अभियुक्तगण को धार 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया एवं आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रारम्भ में पाँच नामित अभियुक्त थे। अभियुक्त सं. 3 व 5 को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया। उनकी दोषमुक्ति के विरूद्ध कोई अपील नहीं है- अपीलार्थियों ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि दो अभियुक्तों को एक ही साक्ष्य के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है तो अपीलार्थियों को दी गयी सजा अनुचित है। अपील पर अभिनिर्धारितः पी.डब्ल्यू.5,6,7 और 9 ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी सं.1 ने मृतक को रोका, फिर अपीलार्थी सं. 2 ने उनमें से एक पर हमला कर दिया जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी और अपीलार्थी सं. 3 ने दूसरे व्यक्ति। पीड़ित पर हमला किया और उसे घायल कर दिया- जब दूसरे पीड़ित ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की तो अभियुक्तगण ने उसका पीछा किया औ पकड़ लिया और बेरहमी से हमाल किया गया- दूसरे पीड़ित व्यक्ति की बाद मे अस्पताल में मृत्यु हो गयी। इसमें अपीलार्थी सं. 2 और 3 केवल इसलिये कि कोई अपील नहीं की गयी इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी सं. 2 व 3 की उपस्थिति एवं उनके हमले जहाँ तक अपीलार्थी सं.1 का सवाल है, अपीलार्थी सं. ने दोनों मृतकों को रोका था जो बाजार से लौट रहे थे और मृतक के रूकने के बाद हमला किया गया- अपीलार्थी सं. 1 के द्वारा अपराध कारित करने के सामान्य आशय के अस्तित्व के संबंध में किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

दाण्डिक विधि- सामान्य आशय- अभिनिर्धारित सामान्य आशय के अग्रसारण में कई व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020]8 एस.सी.आर. यद्यपि उनकी भूमिकाएँ भिन्न हो सकती है। भूमिका सक्रिय है या निष्क्रिय, यह अप्रासंगिक है, एक बार सामान्य आशय स्थापित हो जाने के बाद- सामान्य आशय का शायद ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है- यह तथ्यों से निकाले जाने वाले अनुमान का विषय है और किसी मामले की परिस्थितियां प्रतिभागियों के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के संयमी मूल्यांकन पर आधारित होती है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दूसरे के

कृत्यों के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिनके साथ उसने सामान्य आशय के अग्रसारण में कृत्य किया ।

अपील निरस्त करते हुए , न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1. साक्षी पी.डब्ल्यू5 की साक्ष्य के समान पी.डब्ल्यू 6,7 व 9 ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी सं. 1 ने मृतक को रोका, अपीलार्थी सं.2 ने मृतकों में से एक पर दांव से हमला किया जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी सं.3 ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। घायलों ने घटना स्थल से भागने की कोशिश की अभियुक्तों ने उनका पीछा किया एवं एक घर के पास पकड़ लिया जहाँ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गयी। चोटहिल को अस्पताल ले जाया गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षी पी.डब्ल्यू 6 द्वारा अपनी जिरह में दी गयी साक्ष्य जो अंधेरे के सम्बन्ध में पहचान को प्रभावित करती है। अप्रासंगिक है। अतः हमें अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा दोनों मृतकों की उपस्थिति और उन पर हमला करने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है, ताकि उन्हें संदेह के किसी भी लाभ या बरी किए गए आरोपियों के साथ समानता के आधार पर बरी किया जा सके, केवल इसलिए कि कोई अपील नहीं की गई है।किसी भी स्थिति में यह स्पष्ट है कि पक्ष पहले से एक दूसरे को जानते थे और इसलिए शाम को पहचान होने पर संदेह नहीं किया जा सकता है।[पैरा 11][737-एच; 738-ए-सी]

2.इसलिए इस न्यायालय को अपीलार्थी सं.2 और 3 द्वारा दोनों मृतकों की स्थिति और उन पर हमला करने पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं मिला ताकि उन्हें सन्देह के किसी भी लाभ या बरी किये गये अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर बरी किया जा सके केवल इसलिए कि कोई अपील नहीं की गयी थी। [पैरा 12][738 सी-डी]

3.यह बिन्दु इस न्यायालय के विचार पर छोड़ा जाता है कि अपीलार्थी सं. 1 दोषमुक्त होने लायक है क्योंकि उसे अपीलार्थी सं. 2 व 3 के साथ सामान्य आशय साझा किया जाना और वे जो अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। सामान्य आशय के अग्रसारण में कई व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं। यद्यपि उनकी भूमिकाएँ भिन्न हो सकती है। भूमिका सक्रिय है या निष्क्रिय, यह अप्रासंगिक है, एक बार सामान्य आशय स्थापित हो जाने के बाद- सामान्य आशय का शायद ही कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकता है। यह तथ्यों से निकाले जाने वाले अनुमान का विषय है और किसी मामले की परिस्थितियां प्रतिभागियों के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के संयमी मूल्यांकन पर आधारित होती है। जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दूसरे के कृत्यों के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिनके साथ उसने सामान्य आशय के अग्रसारण में कृत्य किया । मानसिक तत्व की उपस्थिति या कार्य करने का इरादा यदि ठोस रूप से स्थापित हो तो हमले में वास्तविक भागीदारी के बिना दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के आधार पर दोषी ठहराये जाने से पहले वह हमले में सक्रिय रूप से शामिल हो। यदि साक्ष्य की प्रकृति पूर्व व्यवस्थित योजना और योजना के अनुरूप कार्य करने को प्रदर्शित करती है तो सामान्य आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी विशेष मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कई व्यक्तियों के बीच किसी विशेष परिणाम को लाने का एक सामान्य आशय मौके

पर भी विकसित हो सकता है। अभियुक्तगण का घटना स्थल पर एक साथ आना जिनमें से कुछ या सभी सशस्त्र हो सकते हैं, हमले का तरीका अभियुक्तगण द्वारा निभायी गयी सक्रिय या निष्क्रिय भूमिका निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए केवल कुछ आधार हैं। [पैरा 13][738-डी-एच;739-ए]

4. वर्तमान मामले में अपीलार्थी सं. 1 अन्य दो अपीलार्थीगण के साथ इन्तजार कर रहा था। जिनके पास शस्त्र थे। अपीलार्थी सं.1 ने दोनों मृतकों को रोका जो बाजार से लौट रहे थे। हमला मृतक के रूकने के बाद शुरू हुआ। यह कि पैसे को लेकर कुछ विवाद था। यह गवाहों की गवाही से पता चलता है। बेरहमी से किये गये हमले से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। अपीलार्थी सं.3 के द्वारा हमला करने पर दूसरा घायल हुआ। जिसके बाद उसने भागने का प्रयास किया। अपीलार्थी सं.1 ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे दौड़ाया एक घर के पास उसे पकड़कर बेरहमी से हमला किया। घायल व्यक्ति को फिर खींचकर मृतक के पास ले जाया गया। प्रश्नगत अपराध करने के लिए अपीलार्थी सं. 1 ने समान आशय के अस्तित्व के सम्बन्ध में किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अदालत को अपीलार्थी सं.1 की इस दलील पर कोई लाभ देने का कोई कारण नहीं मिला की हमले में उसकी कोई भूमिका या कार्य नहीं है। इस कारण से किसी भी समान आशय के अस्तित्व से इन्कार किया गया है। [पैरा 18][740-डी-एफ] सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020]8 एस.सी.आर.

करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 1954 एस.सी.आर. 904; रामास्वामी अव्यंगर बनाम तमिलनाडु राज्य (1976) 3 एस.सी.सी. 779: (1976)3 एस.सी.आर.876;नन्दु रस्तोगी बनाम बिहार राज्य (2002)8 एस.सी.सी.9:(2002)3 पूरक एस.सी.आर.30; सुरेन्द्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2000)

4 एस.सी.सी. 110: (2000)2 एस.सी.आर. 515; नन्द किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011)12 एस.सी.सी. 120:(2011)7

एस.सी.आर. 1152- विचार किया गया।

केस लॉ रेफरेंस (1954) एस.सी.आर. 904 के पैरा 8 पर विचार किया गया। (1976)3 एस.सी.आर. 876 के पैरा 14 पर विचार किया गया। (2002)3 पूरक एस.सी.आर. 30 के पैरा 15 पर विचार किया गया। (2000)2 एस.सी.आर. 515 के पैरा 16 पर विचार किया गया। (2011) 7 एस.सी.आर. 1152 के पैरा 17 पर विचार किया गया।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार 2012 की दाण्डिक अपील संख्या 1401
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दाण्डिक अपील संख्या 32/2009 के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.04.2012 से
गौरव अग्रवाल , सुश्री चारू अम्बवानी, तायेनजाम मोमो सिंह, देबोजीत बोरकाकाती, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता
न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. सत्र न्यायाधीश, उत्तरी लखीमपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (संक्षेप में, " आईपीसी ") के तहत अपीलकर्ताओं की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी। उन्हें

जुर्माना और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। एवं जुर्माना न अदा करने के एवज़ में शर्त अधिरोपित की गयी। अतः अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील।

2. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दो मृतकों, अब्दुल मोतिन और अब्दुल बारेक पर दिनांक 05.08.2005 को लगभग सायं 6.00 बजे हमला किया गया था, जब वे अन्य लोगों के साथ साइकिल से बाजार से लौट रहे थे । अब्दुल बरेक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसी रात इलाज के दौरान अब्दुल मोतिन की अस्पताल में मृत्यु हो गई। मूल रूप से पांच नामजद अभियुक्त थे। अभियुक्त संख्या 3 और 5 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया । हमें उनके दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई किसी अपील की जानकारी नहीं है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि दो आरोपियों को एक ही सबूत के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है, तो अपीलकर्ताओं की सजा अनुचित है और वे भी संदेह का लाभ पाते हुए बरी होने के हकदार हैं। चश्मदीद गवाह संख्या 5,6,7 व 9 के साक्ष्यों में कई विसंगतियां हैं। घटना अंधेरा छा जाने के बाद हुई थी, जिससे साक्षी पीडब्लू 6 की जिरह के आधार पर पहचान संदिग्ध हो गई। साक्षी पी.डब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में कहा कि उसे बाबूलाल और असगर अली ने सूचित किया था कि अपीलकर्ता हमलावर थे। अभियोजन पक्ष ने उनमें से किसी को भी परीक्षित नहीं कराया है। चश्मदीद गवाहों ने केवल अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा दोनों मृतकों पर हमला किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि अपीलकर्ता संख्या 1 किसी भी तरह से सशस्त्र था या उसने दोनों मृतकों में से किसी एक पर हमला भी किया था। अतः अपीलकर्ता संख्या 1 के संबंध में सामान्य आशय का अनुमान लगाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 दोनों मृतकों पर अपने-अपने हमले के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अपीलकर्ताओं के पास से दर्शायी गयी बरामदगी पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। अंत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के तहत कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था।

4. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 5, 6, 7 और 9 हमले में अपीलकर्ताओं की भागीदारी के संबंध में सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत किया है। संदेह के लाभ देते हुए दो सहअभियुक्तों को बरी करने से उनके संबंध में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए अपीलकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। सामान्य आशय इस तथ्य से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ता सशस्त्र थे और दोनों मृतकों के इंतजार में थे, जिन पर बाजार से लौटते समय हमला किया गया और हमले के बाद दोनों की मृत्यु हो गई।

5. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार किया। दोनों मृतक पीडब्ल्यू 5,6,7 व 9 के साथ बाजार से लौट रहे थे। अपीलकर्ताओं ने उन्हें रोका जिसके बाद हमला हुआ। अब्दुल बरेक की मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पी.डब्ल्यू 8 द्वारा तैयार की गई, जिसमें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

“पोस्टमार्टम जांच के दौरान, मृतक का बायां पैर बाएं टखने के जोड़ से 8 सेमी ऊपर कटा हुआ पाया गया। कटे हुए हिस्से का घाव 6 x 4 सेमी आकार का दिख रहा था। . पैर की दोनों हड्डियों में साफ बेवलदार तीखा कट देखा गया। मांसपेशियां, प्रमुख रक्त वाहिकाएं भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पायी गईं। अलग हुआ हिस्सा भी उसी चोट के साथ देखा गया। चोट मृत्यु से पूर्व की थी। अन्य अंग स्वस्थ पाए गए।” सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020]8 एस.सी.आर.

6. इसी तरह, अब्दुल मोतिन का पोस्टमार्टम साक्षी पी.डब्ल्यू 10 द्वारा किया गया था। जिसमें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

“रायगर मोर्टिस 6" ऊपरी और निचले अंगों पर मौजूद थी। शरीर बहुत पीला पड़ गया था, 6" निचले अंगों पर कई गहरे घाव थे। बायां पैर टखने के जोड़ से लगभग ऊपर कट गया था और ऊपरी पैर से अलग हो गया था और मेरी पोस्टमॉर्टम जांच के समय शरीर के साथ पैर नहीं पाया गया था।

1. निचले अंगों में गहरी चोट, बायां पैर टखने के जोड़ से लगभग 1'' ऊपर, जिससे बायां पंजा बाएं पैर से पूरी तरह अलग हो गया। दोनों पैरों की हड्डियाँ, त्वचा, कोमल ऊतक और वाहिकाएँ कट गईं, जिससे व्यापक 8 रक्तस्राव त्वचा के किनारे हो गए। सभी घाव गहरे और निशान छोड़ने वाले थे। मांसपेशियाँ, स्नायुबंधन वाहिकाएँ भी रिट्रैक्ट हो गईं थी।

2. दाहिना पैर, ऊपरी और मध्य धागे के जोड़ पर पूर्व भाग में लगभग 2'' आकार का गहरा कट था। इसे तिरछा रखा गया था और इससे त्वचा में कट लग गया, दाहिनी टिबिया और पिंडली की मांसपेशियों और वाहिकाओं के मध्य भाग में कट और फ्रैक्चर हो गया और रक्तस्राव हुआ।

3. दाहिने पैर के मध्य धागे में लगभग 2'' आकार का एक और गहरा कट, पूर्वकाल मध्य भाग, बाहरी त्वचा में रखा गया, जिससे दाहिने टिबिया में कट और फ्रैक्चर हुआ, जिससे पर्याप्त रक्तस्राव हुआ। इससे पिंडली की मांसपेशियां भी कट जाती हैं।

4. दाहिने टखने के पार्श्व भाग पर गहरा कट लगने से नीचे की ओर तिरछा कट लगना। इसका आकार भी लगभग 3%” था, जिससे दाहिने पैर का टखना लगभग 2/3'' अलग हो गया। त्वचा, फाइबुला स्नायुबंधन और मांसपेशियों और वाहिकाओं का निचला सिरा और कैल्केनस हड्डी का ऊपरी हिस्सा कट गया था, जिससे पूर्वकाल रक्तस्राव हुआ।

सभी चोटें मृत्यु से पूर्व की थीं। अन्य अंग स्वस्थ पाए गए।”

7. दिनांक 05.08.2005 को रात्रि 09.00 बजे पीडब्ल्यू 1, जो कि गांवबुराह था, की मौखिक सूचना पर उत्तरी लखीमपुर पुलिस स्टेशन में एक जीडी प्रविष्टि की गई थी, कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने दो मृतकों के साथ मारपीट की थी, जिनमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, और दूसरे को अस्पताल ले जाया गया। चोटहिल की भी मौत हो जाने के बाद मृतक के भाई द्वारा दिनांक 06.08.2005 को अपराह्न 3:15 बजे अपीलकर्ताओं सहित पांच आरोपियों को नामित करते हुए एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुबेद अली व अन्य बनाम असम राज्य

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

8. पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 , 341 और 302 के तहत आरोप विरचित किए गए . अभियुक्त के विरूद्ध भारतायी दण्ड संहिता की धारा 341 के तहत आरोप साबित नहीं हुआ। सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त संख्या 3 व 5 को पी.डब्ल्यू 1 और पी.डब्ल्यू 5 के साक्ष्य के आधार पर उनकी उपस्थिति और भागीदारी के संबंध में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। चूंकि आरोपी व्यक्तियों की संख्या अब पांच से कम हो गई, इसलिए अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया। चश्मदीद गवाहों के बयान के बावजूद, मामले के तथ्यों में दो सहअभियुक्तों को बरी किए जाने से अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ उपलब्ध सबूतों की सुसंगत प्रकृति को देखते हुए कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। चश्मदीद गवाहों के साक्ष्यों में छोटी-मोटी विसंगतियों और विरोधाभासों को अप्रासंगिक माना जाता है। सभी भौतिक पहलुओं पर उनके साक्ष्य उनके चश्मदीद गवाह होने के तथ्य को लगातार विश्वसनीयता प्रदान कर रहे हैं। हम धारा 34 की सहायता से अपीलकर्ताओं की सजा में कोई कमी नहीं पाते हैं । करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1954 एससीआर 904 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"8.... लेकिन अगर साबित किए जाने वाले तथ्य और धारा 149 के तहत आरोप के संदर्भ में पेश किए जाने वाले सबूत वही होंगे जो आरोप धारा 34 के तहत थे, तो धारा 34 के तहत आरोपी पर आरोप लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है और ऐसे मामलों में धारा 149 के स्थान पर धारा 34 का प्रतिस्थापन एक औपचारिक मामला माना जाना चाहिए...।"

9. साक्षी पी.डब्ल्यू 1 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बाबुल अली और असगर अली दोनों को परीक्षित नहीं कराया गया है, विवेचनाधिकारी साक्षी पी.डब्ल्यू 12 के साक्ष्य के मद्देनजर अप्रासंगिक माना जाता है जब अभियोजन पक्ष के समक्ष उक्त तर्क प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पी.डब्ल्यू 1 ने जांच के दौरान कभी भी उसने ऐसा कोई बयान दिया था।

10. पी.डब्ल्यू 5 दोनों मृतकों के साथ एक चश्मदीद गवाह था। उन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि घटना के समय पहचान के लिए पर्याप्त रोशनी थी, अपनी जिरह में उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने दोनों मृतकों को रोका जिसके बाद अपीलकर्ता संख्या 2 ने अब्दुल बरेक के पैर पर धारदार हथियार से हमला किया। दूसरे मृतक, अब्दुल मोतिन ने अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा घायल होने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त ने उसका पीछा किया और मामूद अली के घर के पास पकड़ लिया, उस समय गवाह अपनी सुरक्षा के डर से भाग गया। बाद में उन्हें पता चला कि उन दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

11. इसी तरह, पी.डब्ल्यू 6, 7 और 9 ने अपनी साक्ष्य में बताया कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने मृतक को रोका, अपीलकर्ता संख्या 2 ने मृतक अब्दुल बरेक पर 'दाओ' से हमला किया,

जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अपीलार्थी संख्या 3 ने अब्दुल मोतिन पर हमला कर उसे घायल कर दिया। चोटहिलों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और मामूद अली के घर के पास पकड़ लिया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। फिर उसे उस स्थान पर घसीटा गया जहां अब्दुल बरेक को लिटाया गया था। चोटहिल को अस्पताल ले जाया गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। पहचान को प्रभावित करने वाले अंधेरे के संबंध में अपनी जिरह में पी.डब्ल्यू 6 का बयान पी.डब्ल्यू.5,7 व 9 के सुसंगत साक्ष्यों को देखते हुए अप्रासंगिक है। जिन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि सूर्यास्त के बाद शाम का समय था लेकिन अंधेरा नहीं था, जिससे गोधूलि में पहचान संभव हो सकी। किसी भी घटना में, यह स्पष्ट है कि पक्ष पहले से एक-दूसरे को जानते थे और इसलिए शाम को पहचान होने पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

12. अतः हमें अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा दोनों मृतकों की उपस्थिति और उन पर हमला करने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है, ताकि उन्हें संदेह के किसी भी लाभ या बरी किए गए आरोपियों के साथ समानता के आधार पर बरी किया जा सके, केवल इसलिए कि कोई अपील नहीं की गई है।

13. श्री अग्रवाल की यह दलील कि अपीलकर्ता संख्या 1 बरी होने का हकदार है क्योंकि उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 के साथ सामान्य आशय के अग्रसारण में कृत्य किया है और जो अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए उत्तरदायी हैं, यह हमारे विचार का प्रश्न है। सामान्य आशय में एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति एकजुट होकर कार्य करते हैं, हालाँकि उनकी भूमिकाएँ भिन्न हो सकती हैं। एक बार सामान्य आशय स्थापित हो जाने पर भूमिका सक्रिय या निष्क्रिय हो सकती है, यह अप्रासंगिक है। सामान्य आशय का शायद ही कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है। यह प्रतिभागियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के संचयी मूल्यांकन के आधार पर किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का मामला है। सामान्य आशय के आधार पर दोषसिद्धि की नींव प्रतिनिधिक देयता के सिद्धांत पर आधारित है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को दूसरों के कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है जिनके साथ उसने सामान्य आशय के अग्रसारण में कार्य किया था। आपराधिक मनोस्थिति या कार्य करने का आशय यदि ठोस रूप से स्थापित हो, तो हमले में वास्तविक भागीदारी के बिना, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले, वह हमले की गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हो। यदि साक्ष्य की प्रकृति एक पूर्व-निर्धारित योजना को प्रदर्शित करती है और योजना के अनुसार मिलकर काम करती है, तो सामान्य आशय का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कई व्यक्तियों के बीच किसी विशेष परिणाम को लाने का एक सामान्य आशय मौके पर भी विकसित हो सकता है। अभियुक्तों का घटनास्थल पर एक साथ आना, जिनमें से कुछ या सभी सशस्त्र हो सकते हैं, हमले का तरीका,अभियुक्तों द्वारा निभाई गई सक्रिय या निष्क्रिय

भूमिका, निष्कर्ष निकालने के लिए केवल कुछ आधार हैं। सुबेद अली व अन्य बनाम असम राज्य

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

14. रामास्वामी अव्यंगार बनाम तमिलनाडू राज्य , (1976) 3 एस.सी.सी. 779 में, सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए इसे इस प्रकार देखा गया था: "12... आपराधिक कार्यवाही में अलग-अलग संघों द्वारा किए गए कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को किसी न किसी तरह से आपराधिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए और संलिप्त होना चाहिए, उदाहरण के लिए, कोई केवल पीड़ित की राहत के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए पहरा दे सकता है, या अन्यथा सामान्य आशय के निष्पादन को सुविधाजनक बना सकता है। ऐसा व्यक्ति भी उतना ही "कार्य" करता है जितना कि उसके सह-प्रतिभागी वास्तव में योजनाबद्ध अपराध करते हैं। हालाँकि, शारीरिक हिंसा से जुड़े अपराध के मामले में, धारा 34 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति अपराध के लिए उकसाता है या सहायता करता है, उसे सुविधा प्रदान करने या अपराध करने के उद्देश्य से वास्तविक अपराध के समय शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए। उस अपराध को बढ़ावा देना, जिसे अंजाम देना संयुक्त आपराधिक गतिविधि का उद्देश्य है। उन लोगों की ऐसी उपस्थिति जो किसी न किसी तरह से सामान्य आशय के निष्पादन को सुविधाजनक बनाते हैं, स्वयं 'आपराधिक कृत्य' में वास्तविक भागीदारी के समान है। धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों के दिमाग की एक साथ सहमति है। ऐसी सर्वसम्मति मौके पर ही विकसित की जा सकती है और इस तरह उन सभी का इरादा हो सकता है..."15. नंदू रस्तोगी बनाम बिहार राज्य , (2002) 8 एससीसी 9 में, सामान्य इरादे के अनुमान के संबंध में इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: "17... वे एक साथ आए, और उनमें से दो पहरा देते रहे और अभियोजन पक्ष के गवाहों को हस्तक्षेप करने से रोका, उनमें से तीन मृतक को अंदर ले गए और उनमें से एक ने उसे गोली मार दी। इसके बाद वे एक साथ भाग गए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 लगाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी ने मृतक के साथ मारपीट की हो। यह पर्याप्त है अगर यह परिलक्षित हो कि उनके द्वारा अपराध एक ही आशय के अग्रसारण में कारित किया गया था और इसे आगे बढ़ाने में प्रत्येक ने अलग-अलग कार्य करके, समान या विविध तरीके से अपनी निर्धारित भूमिका निभाई थी...।"16. सुरेंद्र चौहान बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (2000) 4 एससीसी 110 में , यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमले के सकारात्मक कृत्य की अनुपस्थिति सामान्य आशय को स्थापित करने के लिए एक आवश्यक घटक नहीं थी: "11. धारा 34 के तहत किसी व्यक्ति को अपराध को कारित करने या अग्रसारित करने के लिए उसका अपराध कारित होते समय शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए जिसका कारित होना संयुक्त आपराधिक गतिविधि का उद्देश्य है। उन लोगों की ऐसी उपस्थिति जो किसी न किसी तरह से सामान्य आशय के निष्पादन को सुविधाजनक बनाते हैं, स्वयं आपराधिक कृत्य में वास्तविक भागीदारी के समान है। धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए

आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्तियों के दिमाग की एक साथ सहमति है। ऐसी सर्वसम्मति मौके पर ही विकसित की जा सकती है और इस तरह उन सभी का इरादा हो सकता है...''

17. इसी तरह का दृष्टिकोण नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य , (2011) 12 एससीसी 120 में लिया गया था।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलकर्ता संख्या 1 अन्य दो अपीलकर्ताओं के साथ इंतजार में था जो सशस्त्र थे। अपीलकर्ता संख्या 1 ने बाजार से लौट रहे दोनों मृतकों को रोका। मृतक के रुकने के बाद हमला शुरू हुआ। गवाहों की गवाही से पता चल रहा है कि पैसों को लेकर कुछ विवाद था। घातक हमले के परिणामस्वरूप अब्दुल बारेक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा अब्दुल मोतिन पर पहले हमले में वह घायल हो गया, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की। अपीलकर्ता संख्या 1 ने अन्य अभियुक्तों के साथ उसका पीछा किया,उसे मामूद अली के घर के पास पकड़ लिया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसके बाद अब्दुल मोतिन को अभियुक्तों ने उस स्थान पर खींच लिया जहां अब्दुल बारेक बेसुध पड़ा था। हमारे विचार से अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत अपराध को कारित करने के लिए सामान्य आशय के अस्तित्व के संबंध में किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है। अतः हमें अपीलकर्ता संख्या 1 को इस दलील पर लाभ देने का कोई कारण नहीं मिलता है कि हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है, इस कारण से किसी भी सामान्य आशय के अस्तित्व से इनकार किया जाता है।

19. परिणामस्वरूप, हमें अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अपील खारिज की जाती है.

पौमेला श्रीवास्तवा
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर